

13 $\frac{06}{24}$

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब राजकार्य में
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
4.7.24 को पेश की जावे।
S.D.O.

04 $\frac{07}{2024}$

पत्रावली पेश हुई आग्निभाषक संघ द्वारा
न्यायालय कार्य स्वार्थित करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
12.7.2024 को पेश की जावे।
S.D.O.

12 $\frac{07}{2024}$

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व परोक्ष सरकार
उपरिस्थित। अप्रार्थी ने प्रा०पत्र धारा-151 व (0)6
(R) 17 CPC पर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर
चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब
प्रा०पत्र धारा-151 व (0)6 (R) 17 दिनांक
14/07/2024 को पेश हो।
S.D.O.

24 $\frac{07}{2024}$

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व परोक्ष सरकार
उपरिस्थित। अप्रार्थी ने प्रा०पत्र धारा-151 व (0)6 (R) 17
(PC पर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया
जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र धारा-151 व
(0)6 (R) 17 दिनांक 14/8/2024 को पेश हो।
S.D.O.

14 $\frac{08}{2024}$

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में
अनुपस्थित। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय
द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग
समय पर आवाज लगाई गई। बाबजूद प्रार्थी व
वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय
में प्रकरण में प्रार्थी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित
नदी घौने से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर अदम धाजिरी

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

पुरेवा

बनाम

भूमिदारी तहसीलदार सा.०


क्रमा

प्रार्थना पत्र

नं०

२३

सन् २०१९

ख ।	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>अदम परती में खारिज किया जाता है। पत्रवली जिसल शुमार होकर दर्ज रजिस्ट्र से कम की जाकर शामिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) </p>	